समाहरणालय, दरभंगा
(जिला स्थापना शाखा)

:- आदेश :-

रिश्वत लेते हुए निगरानी टीम द्वारा गिरफ्तार कर जेल जाने के आरोप में मो0 फसीउद्दीन, राजस्व कर्मचारी को निलंबित किया गया था। मो0 फसीउद्दीन को जेल से जमानत पर रिहाई होने के उपरान्त योगदान के पश्चात् योगदान स्वीकृत करते हुए निलंबन से मुक्त किया जाता है।

संचालन पदाधिकारी/निगरानी न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर प्राप्त निर्णय के अनुरूप कार्रवाई की जायेगी।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग), बिहार, पटना के पत्रांक–1821, पटना, दिनांक–23.05.07 में निहित प्रावधान के आलोक में मो0 फसीउद्दीन, राजस्व कर्मचारी को बहादुरपुर अंचल से स्थानान्तरण करते हुए अंचल कार्यालय, बिरौल में पदस्थापित किया जाता है। मो0 फसीउद्दीन को आदेश दिया जाता है कि वे पत्र निर्गत की तिथि से एक सप्ताह के भीतर नये पदस्थापन स्थान पर योगदान देना सुनिश्चित करेंगे।

ह0/-
जिला पदाधिकारी,
दरभंगा।

ज्ञापांक– 2588 **/स्था0, लहेरियासराय दिनांक** 26 **वीं दिसम्बर, 2013**

प्रतिलिपि :– मो0 फसीउद्दीन, राजस्व कर्मचारी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अंचल अधिकारी, बिरौल/बहादुरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अनुमंडल पदाधिकारी/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर/बिरौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, दरभंगा/उप कोषागार पदाधिकारी, बेनीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अपर समाहर्त्ता, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित।

20/12/13
जिला पदाधिकारी,
दरभंगा।

19.12.13